समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची - 682 036, भारत

The Marine Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue,
P.B. No. 4272, Kochi-682 036. India

फोन / Phone : 2311979, 2311901, 2311854, 2311803, 2313415, 2314468, 2315065
फाक्स / Fax : 91-484-2313361
E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.gov.in

संदर्भ/Ref:

REG-GEN/RFM/1/2019-REG

तारीख/Date:

30/09/2019

कार्यालय आदेश भाग I सं. 09

विषय : नए मत्स्य भोजन और मत्स्य तेल इकाइयों के पंजीकरण पर अधिस्थगन – संदर्भ में ।

हाल में, मत्स्य भोजन और मत्स्य तेल उत्पादन के लिए अक्षीण जुवेनिल मत्स्यन, एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है । इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक रुप से महत्वपूर्ण प्रजातियों की पकड में ठहराव और समुद्री पकड क्षेत्र से खाद्य मत्स्य संसाधनों की कमी की आशंका उत्पन्न हुई है, जिसने परंपरागत / कुशल मछुआरों की आजीविका और समुद्री पकड से मानव प्रोटीन स्त्रोत की उपलब्धता को खतरा पैदा कर दिया है।

इसलिए, मत्स्यन के चिरस्थाई विकास और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समुद्री मत्स्य संसाधनों के अति-शोषण को बढावा देने वाली गतिविधियों को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना समय की आवश्यकता बन गई हैं ।

जलकृषि में लगभग 43% वैश्विक मत्स्य भोजन उत्पादन और 85% मत्स्य तेल का उपयोग किया जाता है, जो अक्वा फीड उत्पादन के लिए प्रमुख घटक हैं । वन्नामी श्रिम्प के उत्पादन में जलकृषि फीड मिलों की तेजी के साथ बढ़ती मांग ने एक दशक में भारत में मत्स्य भोजन और मत्स्य तेल कारखानों के वर्धन को प्रेरित किया है ।

.....2

आवश्यक आकार और मात्रा में समुद्री पकड में कमी ने प्रसंस्करण इकाइयों और हैंडलिंग केंद्रों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित किया है जो मुख्य रुप से समुद्री मत्स्य संसाधनों पर निर्भर करते हैं । समुद्री खाद्य क्षेत्र के पणधारियों और अनुसंधानकर्ताओं ने , अक्वा फीड के लिए खाद्य मत्स्यों के अ-विवेकपूर्ण शोषण पर अपनी चिंता व्यक्त की है ।

उपर्युक्त की दृष्टि से, और हमारे खाद्य मत्स्य संसाधनों के अति शोषण को नियंत्रित करने के उपाय के रुप में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णयों को लागू करने का निर्णय लिया है ;

- एमपीईडीए द्वारा नए मत्स्य भोजन और मत्स्य तेल इकाइयों के पंजीकरण पर दिनांक 01.01.2020 से अधिस्थगन लगाया जाएगा ।
- एमपीईडीए के साथ मौजूदा पंजीकृत मत्स्य भोजन और मत्स्य तेल इकाइयों के लिए उत्पादन क्षमता की वृद्धि के पृष्ठांकन पर दिनांक 01.01.2020 से अधिस्थगन लगाया जाएगा ।
- निर्यात व्यापार के हित में जब कभी आवश्यकता पड़ती है, इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की सिफारिश के अधीन, अधिस्थगन हटाने की शक्तियां एमपीईडीए, अध्यक्ष को अधिकृत होंगी ।
- एमपीईडीए, समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम के अनुसार, संसाधन संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगा एवं राज्य सरकार को राजी करेगा ।

क्षेत्रीय कार्यालय उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी पणधारियों को उपर्युक्त अधिस्थगन से अवगत कराएं और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करें ।

(बी. श्रीकुमार)
सचिव

वितरण ; 1. सभी क्षेत्रीय प्रभाग / उप क्षेत्रीय प्रभाग / व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली
2. प्रणाली विश्लेषक - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

प्रतिलिपि प्रेषित - अध्यक्ष / निदेशक (विपणन)/ संयुक्त निदेशक (विपणन) -सूचनार्थ ।